

कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण वधियक, 2021

प्रलिस के लयि:

वभिनिन राज्यों के धर्मांतरण वरिधी कानून, धर्म की स्वतंत्रता पर संवैधानिक प्रावधान, संवधान का अनुच्छेद 21

मेन्स के लयि:

धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का कर्नाटक संरक्षण वधियक, 2021, धर्मांतरण वरिधी कानून और संबंधित मुद्दे, संबंधित सर्वोच्च नयायालय के फैसले

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण वधियक, 2021 कर्नाटक राज्य वधानसभा में पेश कयि गया। यह वधियक गलत बयानी, जबरदस्ती, धोखाधड़ी, लालच या शादी के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण पर रोक लगाता है।

- अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हमिचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों ने भी धर्म परिवर्तन को प्रतर्बिधति करने वाले कानून पारति कयि हैं।

प्रमुख बडि

वधियक के मुख्य प्रावधान :

- दंडात्मक प्रावधान:** धर्मांतरण एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है।
 - कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों हेतु तीन से पाँच वर्ष के कारावास की सज़ा और 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान कयि गया है, वही नाबालगिों, महिलाओं और अनुसूचति जातों एवं अनुसूचति जनजातों समुदायों के व्यक्तियों को ज़बरन धर्म परिवर्तति करने हेतु बाध्य करने पर 3 से 10 साल तक की जेल तथा 50,000 रुपए का जुर्माना होगा।
- लोकस स्टैंडी लागू नहीं होता:** प्रस्तावति कानून के अनुसार, धर्मांतरण की शकियत परिवार के सदस्यों या रशितेदारों या संबंधित संस्था में कसी भी व्यक्त द्वारा दर्ज की जा सकती है।
- छूट:** वधियक उस व्यक्त के मामले में जो कि "तत्काल अपने पूर्व धर्म में पुनः धर्मांतरति हो जाता है", छूट प्रदान करता है क्योंकि उसे "इस अधनियम के तहत धर्मांतरण नहीं माना जाएगा"।
- इच्छुक व्यक्त के लयि प्रावधान:** कानून लागू होने के बाद कोई भी व्यक्त जो दूसरे धर्म में धर्मांतरति होने का इरादा रखता है, उसे कम-से-कम 30 दिन पहले ज़िला मजसिद्रेट को सूचति करना होगा।
- इसके बाद धर्मांतरण की वास्तविक मंशा के पीछे के कारण को जानने के लयि पुलसि के माध्यम से ज़िला मजसिद्रेट द्वारा जांच की जाएगी।
- ज़िला मजसिद्रेट को सूचति न करने पर धर्मांतरण को अमान्य घोषति कर दयि जाएगा।

भारत में धर्मांतरण वरिधी कानून:

- संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद-25 के तहत भारतीय संवधान धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है तथा सभी धर्म के वर्गों को अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है; हालाँकि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।
 - हालाँकि कोई भी व्यक्त अपने धार्मिक विश्वासों को ज़बरन लागू नहीं करेगा और परिणामस्वरूप व्यक्त को उसकी इच्छा के वरिद्ध कसी भी धर्म का पालन करने के लयि मजबूर नहीं कयि जाना चाहयि।
- मौजूदा कानून:** धार्मिक रूपांतरणों को प्रतर्बिधति या वनियिमति करने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है।
 - हालाँकि वर्ष 1954 के बाद से कई मौकों पर धार्मिक रूपांतरणों को वनियिमति करने हेतु संसद में नजि वधियक पेश कयि गए हैं।
 - इसके अलावा वर्ष 2015 में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा था कि संसद के पास धर्मांतरण वरिधी कानून पारति करने की वधियी शक्ति नहीं है।
 - वर्षों से कई राज्यों ने बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा कयि गए धार्मिक रूपांतरणों को प्रतर्बिधति करने हेतु 'धार्मिक स्वतंत्रता' संबंधी कानून बनाए हैं।

धर्मांतरण वरिधी कानूनों से संबद्ध मुद्दे:

- अनश्चिति और अस्पष्ट शब्दावली:** गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन जैसी अनश्चिति और अस्पष्ट शब्दावली इसके दुरुपयोग हेतु

एक गंभीर अवसर प्रस्तुत करती है।

- ये काफी अधिक अस्पष्ट और व्यापक हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण से परे भी कई वषियों को कवर करती हैं।
- **अल्पसंख्यकों का वरिध:** एक अन्य मुद्दा यह है कि वर्तमान धर्मांतरण वरिधी कानून धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु धर्मांतरण के नषिध पर अधिक ध्यान केंद्रति करते हैं।
 - हालाँकि धर्मांतरण नषिधात्मक कानून द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली व्यापक भाषा का इस्तेमाल अधिकारियों द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और भेदभाव करने के लयि कयिा जा सकता है।
- **धर्मनरिपेक्षता वरिधी:** ये कानून भारत के धर्मनरिपेक्ष ताने-बाने और हमारे समाज के आंतरकि मूल्यों और कानूनी व्यवस्था की अंतरराष्ट्रीय धारणा के लयि खतरा पैदा कर सकते हैं।

■ वविह और धर्मांतरण पर सर्वोच्च न्यायालय:

◦ **वर्ष 2017 का हादयिा मामला:**

- हादयिा मामले में नरिणय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'अपनी पसंद के कपड़े पहनने, भोजन करने, वचिार या वचिारधाराओं और परेम तथा जीवनसाथी के चुनाव का मामला कसिी व्यक्ती की पहचान के केंद्रीय पहलुओं में से एक है।
- ऐसे मामलों में न तो राज्य और न ही कानून कसिी व्यक्ती को जीवन साथी के चुनाव के बारे में कोई आदेश दे सकते हैं या न ही वे ऐसे मामलों में नरिणय लेने के लयि कसिी व्यक्ती की स्वतंत्रता को सीमति कर सकते हैं।
- अपनी पसंद के साथी को चुनना या उसके साथ रहने का अधिकार नागरकि के जीवन और स्वतंत्रता के मौलकि अधिकार का हसिा है। (अनुच्छेद-21)

◦ **के.एस. पुत्तुसवामी नरिणय (वर्ष 2017):**

- कसिी व्यक्ती की स्वायत्तता से आशय जीवन के महत्त्वपूर्ण मामलों में उसकी नरिणय लेने की क्षमता से है।

◦ **अन्य नरिणय:**

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वभिनिन नरिणयों में यह स्वीकार कयिा है कि जीवन साथी के चयन के मामले में एक वयस्क नागरकि के अधिकार पर राज्य और न्यायालयों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है यानी सरकार अथवा न्यायालय द्वारा इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कयिा जा सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने वभिनिन फैसलों में माना है कि जीवन साथी चुनने के वयस्क के पूर्ण अधिकार पर आस्था, राज्य और अदालतों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
- भारत एक 'स्वतंत्र और गणतांत्रकि राष्ट्र' है तथा एक वयस्क के परेम एवं वविह के अधिकार में राज्य का हस्तक्षेप व्यक्तीगत स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- वविह जैसे मामले कसिी व्यक्ती की नजिता के अंतरगत आते हैं, वविह अथवा उसके बाहर जीवन साथी के चुनाव का नरिणय व्यक्ती के 'व्यक्तीत्व और पहचान' का हसिा है।
- कसिी व्यक्ती के जीवन साथी चुनने का पूर्ण अधिकार कम-से-कम धर्म/आस्था से प्रभावति नहीं होता है।

आगे की राह

ऐसे कानूनों को लागू करने के लयि सरकार को यह सुनिश्चति करना आवश्यक है कि वे कसिी व्यक्ती के मौलकि अधिकारों को सीमति न करते हों और न ही इनसे राष्ट्रीय एकता को क्षतिपिहुँचती हो; ऐसे कानूनों के मामले में स्वतंत्रता और दुर्भावनापूर्ण धर्मांतरण के मध्य संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस